पंचायती राज

- संविधान की अंतिम अनुसूची के तहत राज्य सरकार की सूची में स्थानीय सरकार के विषय का उल्लेख किया गया है.
- पंचायती राज का गठन 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से किया गया था.
- यह विधेयक लोकसभा द्वारा 22 दिसंबर 1992 को और राज्य सभा द्वारा 23 दिसंबर 1992 को पारित किया गया था। बाद में इसे 17 राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किया गया और 23 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई
- इस अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग- IX जोड़ा है। यह भाग 'पंचायतों' के रूप में हकदार है। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 तक के प्रावधान हैं
- संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों की 29 कार्यात्मक वस्तुएं शामिल हैं। यह अनुच्छेद 243-जी से संबंधित है।
- पंचायतों की तीन स्तरीय प्रणाली (संविधान का भाग IX)
  - ग्राम स्तर पर पंचायत;
  - जिला स्तर पर जिला पंचायत;
  - राज्यों में मध्यवर्ती पंचायत जहां जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है।
- एक पंचायत की सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाती हैं
- निर्वाचक मंडल का नाम ग्राम सभा है
- ग्राम सभा एक ग्राम सभा होती है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता होते हैं।
- गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सदस्यों को सीधे लोगों द्वारा चुना जाएगा
- मध्यवर्ती और जिला स्तर (जिला परिषद) में पंचायतों के अध्यक्ष को निर्वाचित सदस्यों में से और से परोक्ष रूप से चुना जाएगा।
- एक राज्य द्वारा पारित कानून के अनुसार ग्राम स्तर पर एक पंचायत का अध्यक्ष चुना जाता है
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित हैं (अनुच्छेद 243 D)।
- आरक्षित सीटों में से, 1/3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है

TEST SERIES
Bilingual
KVS PRT
30 TOTAL TESTS
Validity : 12 Months

- 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति और राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने के लिए योग्य एक पंचायत के सदस्य के रूप में योग्य हैं. (अनुच्छेद 243F)
- एक राज्य एक पंचायत को लगान, संग्रह और उचित कर, कर्तव्य, टोल आदि के लिए अधिकृत कर सकता है.
- संविधान के 73 वें संशोधन के बाद (24 अप्रैल 1993)। हर 5 साल में राज्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और सिफारिशें देने के लिए एक वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं.
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर, 1952 को शुरू किया गया था
- प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर, 1959 को पहली बार पंचायती राज की शुरुआत की गई थी।
- राजस्थान भारत का पहला राज्य है, जहाँ पूरे राज्य में पंचायती राज लागू किया गया था। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश था, जिसने 1959 में भी इस प्रणाली को अपनाया

महत्वपूर्ण समितियाँ

पंचायती राज से संबंधित समितियां			
Sl.	**समितियां**	**अपॉइंटमेंट की तिथि**	**रिपोर्ट की तारीख**
1.	बलवंत राय मेहता समिति	जनवरी, 1957	24 – 11 – 1957
2.	अशोक मेहता समिति (पंचायतों के कामकाज पर)	12 – 12 - 1977	21 – 08 – 1978
3.	हनुमंत राव समिति (प्रत्यक्ष स्तर योजना)	सितम्बर, 1982	मई, 1984
4.	जी वी के राव समिति - (ग्रामीण विकास के प्रशासनिक पहलुओं पर)	25 – 03 – 1985	दिसम्बर, 1985
5.	एल एम सिंघवी समिति - (पंचायतों की संवैधानिक स्थिति पर)	–	27 – 11 - 1986
6.	पी के थुंगन समिति - (संवैधानिक संशोधन पर विचार करने के लिए)	1988	
7.	V N गडगिल समिति - (सबसे अच्छी पंचायत राज संस्था को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है)	1988	